न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :— 36 / 2024

शीर्षक

1. मीरा देवी पत्नि सांवरमल बिंवाल, उम्र—वयस्क, जाति बलाई, निवासी शंकर कॉलोनी शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

— वादीया

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र घीसाराम, जाति गुर्जर, निवासी देवन, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27/5/26

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0—1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है०, 1207 रकबा 0.5800 है० कुल किता—3 क्ल रकबा 0.8600 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है (जिसकी खातेदारी वादीया के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जमाबन्दी सं0—2074 से 2077 खाता सं0—383 संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि जिमन नं0—1 वाद पत्र में दर्ज भूमि वादीया की खरीदशुदा, कब्जेशुदा खातेदारी सम्पति है। वादीया ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। यहकि जिमन नं0—1 वाद पत्र में दर्ज भूमि की खातेदारी व कब्जे काश्त से वादीया के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी सं0—1 का उक्त भूमि हाल आराजी खसरा नं0—1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है०, 1207 रकबा 0.5800 है) कुल किता—3 कुल रकबा 0.8600 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील—शाहपुरा, तहसील— शाहपुरा जिला जयपुर के किसी भी भू भाग व कब्जे काश्त से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो जाने के कारण एक नाजायज संगठन बनाकर अभी पांच दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने हाल आराजी खसरा नं0—1170 रकबा 0.2000 है०, 1171 रकबा 0.0800 है0. 1207 रकबा 0.5800 है० कुल किता—3 कुल रकबा 0.8600 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

जयपुर, की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को उनकी उक्त अवैध कब्जा करने की कार्यवाही का उल्हाना दिया तो प्रतिवादीगण काफी उग्र हो गये तथा वादीया को धमकी दी है कि हम उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करेगे जबरन पेड पौधे काटेगे तथा तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि पर भी कब्जा करके रहेगे तुम्हे जो करना है वो कर लो हम किसी कोर्ट कचहरी से नहीं डरते इस प्रकार प्रतिवादी के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो चुका है तथा प्रतिवादी ने वादीया की अनुपस्थिति में बिना किसी हक अधिकार के उक्त भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है और वादीया की भूमि पर बाजरे की फसल काश्त करने हेतु तैयार हो रहा है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है प्रतिवादी काफी लडाई झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नाजायज संगठन बनाकर वादीया की भूमि पर जबरन कब्जाकर व बाजरे की फसल काश्त कर वादीया की भूमि को खुर्द बुर्द कर देने को आमादा फिसाद है इसलिए वादीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में दर्ज भूमि हाल आराजी खसरा नं0–1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है0, 1207 रकबा 0.5800 है० कुल किता–3 कुल रकबा 0.8600 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील––शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान की भूमि पर प्रतिवादी सं०–1 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाया जाकर प्रतिवादी सं0–1 को बेदखल कर वादीया को उक्त भूमि का कब्जा सम्भलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है0, 12:07 रकबा 0.5800 है० कुल किता–3 कुल रकबा 0.8600 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान के वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे वादीया को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामील एवं बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं तहसीलदार शाहपुरा को मौका रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/258 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं कोई आपत्ति पेश नहीं कर अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का कब्जा माना गया है एवं जबरन कब्जा करके जोत करने का अंकन भी किया गया है। अतः वाद पत्र के अनुतोष खण्ड में वर्णितानुसार वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल किये जाने एवं वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने के आदेश प्रदान करते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि आराजी खसरा नंबर 1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है0, 1207 रकबा 0.5800 है0 किता 3 कुल रकबा 0.8600 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 383 से बखूबी साबित है। मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीया द्वारा उक्त भूमि दिनांक 28.05.2024 को मुताबिक विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त खसरा नंबर पर वर्तमान में कल्याण सहाय पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर द्वारा मौके पर जोत की हुई है, जिसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड व अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबरन कब्जा करके जोत कर रखी है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि वादीया की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 183 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के कृषि भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो खातेदार या भूमि मालिक उसे बेदखल करने के लिए न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 को वादीया की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि से बेदखल किया जाकर वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात, शपथ–पत्र एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल खाता संख्या 383 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.2000 है0, 1171 रकबा 0.0800 है0, 1207 रकबा 0.5800 है0 किता 3 कुल रकबा 0.8600 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 की भूमि जिसकी वादीया रिकॉर्डेड खातेदार है उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण सहाय पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर को बेदखल किये जाने के एवं उक्त भूमि का कब्जा वादीया को सुपुर्द किये जाने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 को वादीया की भूमि से बेदखल किया जाकर वादीया को कब्जा सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.